झारखण्ड विधान सभा
दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या–04

एकादश (बजट) सत्र
गुरूवार, दिनांकः–02 मार्च, 2023 ई०।

समयः–11:00 बजे पूर्वा० से 04:19 अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआः–

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या–23

(क) उत्तरित कुल–04	अ०सू०–16, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	स0वि0स0
	अ०सू०–11, श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	स0वि0स0
	अ०सू०–22, श्री रामदास सोरेन,	स0वि0स0
	अ0सू0–14, श्री राज सिन्हा,	स0वि0स0
(ख) स्थगित कुल–01	अ०सू०–02, श्री विनोद कुमार सिंह,	स0वि0स0
(ग) अनागत कुल–18	क्रम संख्या–47 से 64 तक।	

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या–44

(क) उत्तरित कुल–02	क्र०सं०–94, श्री जिगा सुसारण होरो	स0वि0स0
	क्र०सं०–95, श्री जिगा सुसारण होरो	स0वि0स0
(घ) अनागत कुल–42	क्रम संख्या–96 से 137 तक।	

2. सूचना दिया जाना

श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 ने सूचना दिया कि माननीय सदस्या श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता एवं माननीय सदस्य डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता धरना पर बैठे हुए हैं, जिन्हें ससम्मान सदन के अंदर बुलाने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया गया। तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा श्री नारायण दास, स0वि0स0 एवं श्री समीर कुमार मोहन्ती,

→

स0वि0स0 को अधिकृत किया गया। तद्नुसार माननीय सदस्यगण श्री नारायण दास एवं श्री समीर कुमार मोहन्ती के आग्रह पर दोनों सदस्यगण सदन में आकर अपना–अपना स्थान ग्रहण किए।

3. कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा ने साहेबगंज जिला सहित पूरे झारखण्ड के अधिकांश हिस्से में भू–गर्भ जल स्तर में हो रहे गिरावट के कारण पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाना, माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल ने हजारीबाग विधान सभा क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में सैकड़ों सोलर जल मीनार के खराब होने, नल से पेयजल योजना के नहीं पूरा होने तथा भू–गर्भ जल स्तर की रोकथाम के लिए कोई कठोर नीति नहीं होना, माननीय सदस्या डॉ0 नीरा यादव ने बच्चियों और महिलाओं पर हो रहे वीभत्स घटनाएं, माननीय सदस्य श्री बिरंची नारायण ने राज्य में हत्याएं, दुष्कर्म, नक्सली घटनाएं, अपहरण, दंगा–फसाद, लूट एवं चोरी की घटनाएं तथा माननीय सदस्य डॉ0 लम्बोदर महतो ने छोटानागपुर की कुरमी/कुड़मी (महतो) तथा उत्तरी छोटानागपुर एवं संथाल परगना की घटवार जाति, तेली को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी दिये गये कार्यस्थगन की प्रस्ताव की सूचनाओं को आसन द्वारा पढ़ा गया तथा नियमानुकूल नहीं होने के कारण इन्हें अमान्य कर दिया गया।

4. नियमन

1. आसन से यह नियमन दिया गया कि बिना तथ्य, बिना आधार, बिना डॉक्यूमेन्ट्री प्रमाण कोई किसी माननीय सदस्य पर लांछन न लगायें।
2. नियमानुसार शून्यकाल अधिकतम 50 शब्दों का होना चाहिए। शून्यकाल प्रस्तुत करने के क्रम में अधिकांश माननीय सदस्यों के द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः आसन के द्वारा आप सभी से आग्रह है कि शून्यकाल की सूचना अधिकतम 50 शब्दों में ही दें।

5. शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत् आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की सूचनायें निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयीः–

श्री उमाशंकर अकेला	स0वि0स0
श्री दशरथ गागराई	स0वि0स0
श्री दीपक बिरूवा	स0वि0स0
श्री निरल पुरती	स0वि0स0
श्री नारायण दास	स0वि0स0

डॉ0 लम्बोदर महतो	स0वि0स0
डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	स0वि0स0
डॉ0 इरफान अंसारी	स0वि0स0
श्री मंगल कालिन्दी	स0वि0स0
श्री भूषण तिर्की	स0वि0स0
श्री समीर कुमार मोहन्ती	स0वि0स0
श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता	स0वि0स0
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	स0वि0स0
श्री अनन्त कुमार ओझा	स0वि0स0
श्री संजीव सरदार	स0वि0स0
श्री विनोद कुमार सिंह	स0वि0स0
श्री रामचन्द्र सिंह	स0वि0स0
श्री राजेश कच्छप	स0वि0स0
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	स0वि0स0
श्री आलोक कुमार चौरसिया	स0वि0स0
श्री बिरंची नारायण	स0वि0स0
श्री राज सिन्हा	स0वि0स0
श्री अमित कुमार मण्डल	स0वि0स0
श्री अमर कुमार बाउरी	स0वि0स0
श्री मनीष जायसवाल	स0वि0स0

6. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–147 के तहत प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना एवं उनपर दिए गए वक्तव्य निम्नवत् है:--

i. श्री कमलेश कुमार सिंह, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,
   (इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय पर ली गई कार्रवाई से चलते सत्र में ही माननीय सदस्य को अवगत कराने का निर्देश आसन से दिया गया।)

ii. श्री दशरथ गागराई, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iii. श्री नारायण दास, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iv. श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,
   (वक्तव्य के उपरान्त इस ध्यानाकर्षण सूचना पर ली गई कार्रवाई से चलते सत्र में माननीय सदस्य को अवगत कराने का निर्देश आसन से दिया गया।)

सूचनाः– 1. श्री राजेश कच्छप, स0वि0स0 ने सदन को सूचित किया कि सत्र दिनांक–24.03.2023 तक निर्धारित है, दिनांक–23.02.2023 को सरहुल त्योहार को देखते हुए उक्त बैठक की तिथि परिवर्तित की जाए।

1. श्री नारायण दास, स0वि0स0 ने सदन को सूचित किया है कि देवघर लखराज जमीन पर बसा है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी लोगों को हस्तांतरण होता था, जो अभी बंद है। अतः उक्त जमीन के निबंधन की व्यवस्था की जाय।

7. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

आसन से पुकारे जाने पर माननीय मंत्री (वित्त) डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा झारखण्ड का आर्थिक सर्वेक्षण, 2022–23 की एक प्रति सदन पटल पर रखते हुए प्रस्ताव किया गया कि यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो, जो सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

8. वित्तीय कार्य

आसन द्वारा पुकारे जाने पर योजना–सह–वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या–''मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग'' (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)'' के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 2,96,00,000/–(दो करोड़ छियानबे लाख) रूपये से अनधिक राशि प्रदान करने से संबंधित मांग प्रस्तुत की गयी, जिसपर माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बाउरी ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

9. वित्तीय कार्य (क्रमांक–8 से जारी)

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा में भाग लिये जाने हेतु दलगत समय आवंटन की घोषणा आसन से की गयी। तत्पश्चात् आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बाउरी ने चर्चा प्रारंभ की। इसके उपरान्त निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लियाः–

डॉ0 सरफराज अहमद

श्री भानु प्रताप शाही

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह

श्री प्रदीप यादव

श्री विनोद कुमार सिंह

श्री बैद्यनाथ राम

तदुपरांत तृतीय अनुपूरक व्यय–विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या–4 ''मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग'' (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)'' के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यय की पूर्ति के लिए अनुदान मांग ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ। इसके पश्चात् तृतीय अनुपूरक व्यय–विवरण की अनुदान तथा नियोजन के मांगों की अनुसूची में सम्मिलित अन्य सभी मांग (कुल–60) गिलोटिन (मुखबंद) के माध्यम से सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुई तथा माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

10.विधायी कार्य

"झारखण्ड विनियोग (संख्या–01) विधेयक, 2023"

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, डॉ0 रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड–02 एवं खण्ड–03, अनुसूची, खण्ड–01, प्रस्तावना तथा नाम बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड विनियोग (संख्या–01) विधेयक, 2023"** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक–03 मार्च, 2023 के 11:00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–02 मार्च, 2023

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।